मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल 462002

क्र. एफ–52/1/10/यो/19/2277 भोपाल, दिनांक 06.05.2011

प्रति,

समस्त मुख्य अभियन्ता
समस्त अधीक्षण यंत्री,
समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग,
मध्यप्रदेश।

विषयः– पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने बाबत।
संदर्भः– म0प्र0 शासन का आदेश क्रमांक एफ–52/1/10/यो/10–45 दिनांक 03.01.11

.....

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग के उपरोक्त संदर्भित आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

मध्यप्रदेश कार्यविभाग मनुअल 1983 खण्ड–1, चैप्टर–2, कंडिका 2.0C6 में समस्त कार्यों की तकनीकी स्वीकृति कार्यविभाग के विभिन्न अधिकारियों को प्रत्यायोजित की गई हैं, जिनका विवरण बुक ऑफ फायनेंसियल पावर्स 1995 खण्ड–2 में अंकित है।

कार्यों की समीक्षा के दौरान यह तथ्य जानकारी में आया है कि निर्माण प्रारंभ करने के उपरान्त कार्य की आवश्यकता के कारण स्वीकृत प्राक्कलन तथा निविदा के साथ संलग्न शिड्यूल के आयटम परिवर्तित कर दिये जाते हैं, जिसके कारण कार्य का वित्तीय एवं भौतिक स्वरूप बदल जाता है। इस प्रक्रिया को शासन ने गंभीरता से लेते हुये भविष्य के लिये निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. स्वीकृत प्राक्कलन के आधार पर बनाये गये शिड्यूल या बी0ओ0क्यू0 में यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है अथवा कोई नये आयटम का समावेश किया जाता है तो उसका संपादन सक्षम अधिकारी से पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति जारी करने के उपरान्त ही किया जाये।
2. अनुबंध की राशि (कार्य की अनुमानित लागत में निविदा प्रतिशत का समायोजन करने के उपरान्त) से 10 प्रतिशत अधिक की राशि तक के कार्य की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी। यदि कार्य की लागत में अनुबंध की राशि से 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होती है तो उसका संपादन शासन की पूर्व स्वीकृति के उपरान्त किये जा सकेंगे।
3. कार्य की लागत में प्रशासकीय स्वीकृति से 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि संभावित है तो ऐसे प्रकरणों में सक्षम अधिकारी से पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाये तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के उपरान्त ही कार्य का संपादन कराया जाये।

उपरोक्त निर्देशो का कड़ाई से पालन किया जाये। यदि किसी अधिकारी द्वारा उपरोक्त निर्देशो का पालन नहीं किया जाता है, तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

6/5/11

(चन्द्र प्रकाश अग्रवाल)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग